(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 04/2024

पंजीकरण संख्या :– 2024/22

बउनवान

श्री प्रशान्त विजयवर्गीय निवासी 179 पंचवटी कॉलोनी, डॉ. गर्ग के पास, बारां जिला बारां(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 11.03.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2023 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 02 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 15.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को जरिये सम्मन क्रमांक 208–209 दिनांक 15.02.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 208–209 दिनांक 15.02.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/214 दिनांक 26.02.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां से अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में चाही गई 02 बिन्दुओं की सूचना का निम्नानुसार [illegible] प्रस्तुत किया गया :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु सं.	सूचना का विवरण	उत्तर
1.	मेडिकल कॉलेज के बींचोबीच 4 निजी खातेदारी की आराजी कृषि भूमि (660/279,280,281,284 नलका माल मेलखेड़ी) छोड़ दी गई है। किन कारणों से छोड़ी बाकी मेडिकल कॉलेज के मध्य आ रहे 9 खातेधारकों को क्यों यहां से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया। इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाए।	निजी खातेदारी की भूमि [illegible] एवं दूसरी [illegible] विस्थापित करने का निर्णय [illegible] स्तरीय कमेटी द्वारा लिया जाता है। यह निर्णय तहसील स्तर पर नहीं लिया जाता है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नागत होने से सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

2.	जबकि मेडिकल कॉलेज के मध्य में आ रही निजी खातेधारकों द्वारा अपनी जमीन की सरेंडर कंसर्न (लैंड टू लैंड एक्सचेंज) सहमति भी प्रदान की गई है। फिर इनको मेडिकल कॉलेज के मध्य किन नियमों के आधार पर छोड़ा गया ? नियमावली उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	किन नियमों के आधार पर छोड़ा गया इसके संबंध में तहसील स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नागत होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/214 दिनांक 26.02.2024 से सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested